अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

# आदेश–पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

## न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

**आपूर्ति अपील सं0– 44/2013**

**महाबीर पाण्डेय**

**बनाम**

**सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा, सारण)**

| आदेश का क्रम–संख्या और तारीख। | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर। | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित |
|---|---|---|
| 30.04.2015 | यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा के आदेश ज्ञापांक 2527, दिनांक 02.07.2013 के विरूद्ध दाखिल है।<br>उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 07.05.2013 को महाबीर पाण्डेय, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0–26/2007, पंचायत–अपहर ,प्रखंड–अमनौर की दूकान की जांच अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई–<br>(1) लाभुको की सूची प्रदर्शित नहीं।<br>(2) संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं।<br>(3) निरीक्षण/ शिकायत पंजी का संधारण नहीं।<br>(4) कैशमेमो नही देना।<br>(5) उठाव एवं वितरण की सूचना निगरानी/ अनुश्रवण समिति को न देना न इसके समक्ष वितरण करना।<br>(6) राशन/ किरासन तेल का वितरण निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में देकर निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली की जाती है।<br>(7) माप–तौल संबंधी कागजात प्रस्तुत नही किया जाना।<br>उक्त अनिमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा के ज्ञापांक 1637, दिनांक 09.05.2013 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति | |

को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता की दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं की सूंची व्यपार स्थल के दिवाल पर प्रदशित थी, लेकिन सूचना सह मूल्य प्रदर्शन पट्ट के अलग दिवाल पर चिपके रहने के कारण जांच पदाधिकारी को यह नजर नही आया। संयुक्त नमूना उठाव के समय गोदाम प्रबंधक के द्वारा उपलब्ध नही कराया जाता है, जिस वजह से इसे प्रदर्शित नही किया गया। निरीक्षण पंजी की आवश्यकता के संबंध में अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पूर्व में कोई निदेश नही दिया गया था, जिस वजह से संधारित नही था। विक्रेता की दूकान में शिकायत पंजी संधारित है जिसमें किसी भी उपभोक्ता के द्वारा विक्रेता के विरूद्ध कोई शिकायत नही की गई है। विक्रेता के द्वारा उपभोक्ताओं को कैशमैमो दिया जाता है। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनुदानित सामग्री का ससमय उठाव एवं वितरण निगरानी समिति के समक्ष किया जाता है। जांच के समय माप-तौल के संबंधित प्रमाण पत्र विक्रेता की दूकान पर उपलब्ध था, लेकिन भूल वश उनके द्वारा इसे प्रस्तुत नही किया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमतता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2527 दिनांक 02.07.2013) में अंकित किया गया है कि विक्रेता से प्राप्त कागजातों की विक्रेता से प्राप्त कागजातों की जांच के क्रम में विक्रेता के विरूद्ध कई गंभीर अनियमतताए पाई गई, जिसे आधार बनाकर यह आदेश पारित किया गया। प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक था कि इन अनियमतताओं के संबंध में विक्रेता से पूरक कारण पृच्छा किया जाता एवं प्राप्त जवाब के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विक्रेता से पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओ पर कारण पृच्छा किया जाए, उन्हे सुनवाई

का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

30/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

30/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 292 /न्यायालय, दिनांक 5/5/15

प्रतिलिपि – SDO, मढ़ौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – DDO, NIC, सारण को उक्त आदेश इस जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा, सारण

2/5/15